8-5-18

बाबूलाल बनाम सियाराम शर्मा

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोटखावदा में पेश हुई। वादी मय वकील तहसीलदार दौसा मि. प्रतिवादीगण अनुपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम केरा तहसील दौसा स्थित ख.नं. 355/508 रकबा 0.23 है० भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। मन्दिर श्री सीतारामजी शाश्वत नाबालिग है। माफी मन्दिर की भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमण करने व कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण

हस्ताक्षर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	के द्वारा फसल बावत काश्त करके अतिक्रमण कर रखा है। वादी को उक्त तथ्य की जानकारी होने के पश्चात दिनांक 18-8-2017 को वादी तहसीलदार दौसा व हल्का भूमिधारी मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाया गया, जिससे यह साबित है कि प्रतिवादीगण द्वारा मन्दिर श्री सीतारामजी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसको बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने कैम्प कोर्ट में जाहिर किया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व से हमारी खातेदारी की भूमि रही है, परन्तु अपने कथन की पुष्टि में किसी प्रकार का प्रमाण रिकॉर्ड/दस्तावेज पेश नहीं किया। वादग्रस्त भूमि मन्दिर श्री सीताराम जी की मोहरदारी भूमि है। मन्दिर श्री सीतारामजी शाश्वत नाबालिग है जिसके हितों की रक्षा करना भूमि धारी एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। मन्दिर माफी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिया जाता है कि मन्दिर माफी श्री सीतारामजी की भूमि ग्राम [illegible] तहसील दौसा स्थित ख.नं. 355/508 रकबा 0.23 हे. भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे/पर्चा लिखा जारी हो। मुकदमा फैसल शुमार होकर मामला दाखिल दफ्तर हो तथा बाद तामील पत्रावली रेकर्ड भण्डार हो। निर्णय कैम्प कोर्ट चान्दराणा के मजमे आम में लिखवाकर सुनाया गया। ह० [illegible] सहायक कलक्टर दौसा	